भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या – 4128

(जिसका उत्तर गुरुवार, 21 मार्च, 2013/30 फाल्गुन, 1934 (शक) को दिया गया)

<u>कंपनियों का पंजीकरण</u>

4128. श्री एन. चेलुवरया स्वामी :

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऑनलाइन व्यवसाय तथा डायरेक्ट टू होम व्यवसाय में संलग्न सभी विदेशी कंपनियों को जवाबदेह बनाने के उद्देश्य से कंपनी रजिस्ट्रार के पास इन सभी कंपनियों का पंजीकरण करवाना अनिवार्य करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और क्या राष्ट्रीय सीमाओं से बाहर तक होने वाले ऑनलाइन व्यवसाय के बढ़ते हुए कार्यों को देखते हुए ऐसे संगठनों पर नियंत्रण की आवश्यकता महसूस की गई थी; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री सचिन पायलट)

(क) से (ग) : सरकार के संज्ञान में आया है कि कुछ विदेशी निकाय वास्तव में पंजीकृत हुए बिना भारत में ऑनलाइन गतिविधियाँ चला रहे हैं। ऐसी विदेशी कंपनियों, जिनके लिए फिलहाल पंजीकरण दस्तावेज रजिस्ट्रार को फाइल करना अपेक्षित नहीं है, के ऑनलाइन कार्यकलापों को नियमित करने तथा भारतीय उपभोक्ताओं एवं निवेशकों के हेतों की बेहतर सुरक्षा करने के लिए कंपनी विधेयक, 2012 के खंड 2(42) में 'विदेशी कंपनी' की परिभाषा का क्षेत्र विस्तृत करते हुए इलेक्ट्रानिक मोड द्वारा परिचालित कंपनियों को भी विदेशी कंपनी में शामिल किया गया है।

इसके अलावा, प्रस्तावित विधेयक के खंड 206 से 229 में प्रस्तावित निरीक्षण, पूछताछ तथा जांच से संबंधित प्रावधान विदेशी कंपनियों के लिए भी लागू होंगे।

*****